राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई–33/रेडियो./कोर्ट केस/एफ.273/2018/4115 दिनांक : 16/10/2018

आदेश

श्रीमती रेखा वर्मा, रेडियोग्राफर, न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा के अभ्यावेदन दिनांक 28.8.2018 के साथ एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 18303/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.8.2018 की प्रति के साथ प्रस्तुत कर पति के भी न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा में नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर कार्यरत रहने, वृद्ध सास–ससुर के साथ रहने तथा 2 वर्ष के छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी होने के आधार पर निदेशालय द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश क्रमांक/अराज/सामान्य/2018/579 दिनांक 26.6.2018 द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा से मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करते हुए यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया है।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.8.2018 का ऑपरेटिव पार्ट निम्न प्रकार है :–

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State Respondents are directed to consider ad decide the same by a reasoned and speaking order, in the backdrop of contemplation in the transfer policy with reference to spouse. The representation be determined as expeditiously as possible preferably within four weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

माननीय न्यायालय के उक्त वर्णित आदेश एवं कर्मचारी/याचि के अभ्यावेदन दिनांक 28.8.2018 का अवलोकन किया गया तथा कर्मचारी/याचि के द्वारा अपने अभ्यावेदन में अंकित कठिनाईयों एवं प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक समूह चिकित्सालय कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार रेडियोग्राफर का पद रिक्त होने एवं इस पद के कार्मिकों की आवश्यकता मध्यनजर श्रीमती रेखा वर्मा, रेडियोग्राफर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 78 दिनांक 28.9.2018 के द्वारा पुनः न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में पदस्थापित किया जा चुका है। अतः याचि को एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 18330/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.8.2018 के सन्दर्भ में देय अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण अभ्यावेदन दिनांक 28.8.2018 को निस्तारित किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमशः पेज 2 .....

order.doc

क्रमांक : ई–33 / रेडियो. / कोर्ट केस / एफ.273 / 2018 / 415   दिनांक : 16/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
4. प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक समूह चिकित्सालय कोटा
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज झालावाड।
6. प्रधानाचार्य, न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. श्रीमती रेखा वर्मा, रेडियोग्राफर, न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

order.doc